267-19 उक्त पत्र उपा। मिश्र वादी के वादी विकास कुमार का प्रार्थना-पत्र पेश हुआ, प्रति.अधि. विरुद्ध नहीं करवा चाहते हैं पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 11.10.2019 को पेश हो। बाद तनख्वा का कार्य स्थगन है।

22-8-19 वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया वकील प्रतिवादी उपस्थित आये द्वारा निवेदन करने पर पत्रावली में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डिक्री जारी की गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय उपख
पीठासीन अधिकारी :–
राजस्व वाद संख्या :–
1 विकास कुमार
जिला हनुमानग
1 किशोर कुमार पु
हनुमानगढ (राज.
2 रचना पुत्री श्री
हनुमानगढ (राज.
दावा अ
1. श्री शिवराजसिंह
2. श्री श्रवण कुमार

वादी द्वारा प्रतिवा
इस न्यायालय में प्रस्तुत
चक 2 ए.आर.डब्लयू., त
जमाबन्दी सम्वत 2072–
1/2/.202, 2 ता 5, 6/
कुल क्षेत्रफल 2.023 हैक्टर
संलग्न वाद पत्र है जो वाद
वाद पत्र में वर्णित
है, जिसमें वादी एंव प्रतिवा
वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा
उत्थान के लिए घरू बंटवार
भी हक व हिस्सा बनता था
पक्ष का किया है। तथा मुता
(क) वादी को दफा 2
हुई है, जिस पर वा
(ख) प्रतिवादी संख्या 1
भूमि पर काबिज है।
वादी एंव प्रतिवादीगण
परिवार के उत्थान के लिए
खाता में घराघरू बंटवारा के
रहे है तथा इसी अनुसार क
संख्या 1 के नाम दर्ज होने से
पेचान इत्यादि की सुविधा लेने
गी का अधिकारी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 092/2019

1 विकास कुमार पुत्र श्री किशोर कुमार जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) – – वादी

–:: बनाम ::–

1 किशोर कुमार पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2 रचना पुत्री श्री किशोर कुमार जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता वादी
2. श्री श्रवण कुमार सौलकी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 22.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 2 ए.आर.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 7/7, खाता किशोर कुमार, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 109/341 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1/2/.202, 2 ता 5, 6/.169, 7/.169, 8/.168, 9/.168, 10/3/.135 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.023 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादी एंव प्रतिवादीगण का अर्सा दराज पूर्व घराघरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए घरू बंटवारा किया हुआ है। प्रतिवादी सख्या 2 का वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा बनता था वो उसके द्वारा अर्सा दराज पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष का किया है। तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा निम्न प्रकार है :–

(क) वादी को दफा 2 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 कृषि भूमि कास्त हेतु दी हुई है, जिस पर वादीगण काबिज है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 किशोर कुमार ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि पर काबिज है।

वादी एंव प्रतिवादीगण परस्पर ही एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित खाता में घराघरू बंटवारा के अनुसार दफा 3 में वर्णित के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इसी अनुसार काबिज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी के हितो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है तथा वादी रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे है। वादी मुताबिक घराघरू विभाजन घोषणा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का उक्त घराघरू बंटवारा अनुसार पक्षकारो के मध्य सहमति हुई थी।

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

पूर्व मे वाद पत्र की मद सख्या 2 मे दर्ज आराजी प्रतिवादी के पिता व दादा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी, जिसकी जमाबन्दी शामिल वाद पत्र है तथा प्रतिवादी के पिता व दादा से वाद पत्र की मद सख्या 2 मे दर्ज आराजी प्रतिवादी को विरासतन प्राप्त हुई है, इस कारण वाद पत्र की मद सख्या 2 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी पूर्णतः जदी जायदाद साबित होती है तथा जदी जायदाद आराजी मे को-पार्सनर होने के नाते वादीगण का जन्म से प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है।

वादी इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा मे प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है।

वादी ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित घराघरू बंटवारे एंव वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार वादी के नाम उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :-

(क) वादी घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी चक 2 ए.आर. डब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 7/7, खाता किशोर कुमार, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 109/341 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1/2/.202, 2 ता 5, 6/.169, 7/.169, 8/.168, 9/.168, 10/3/.135 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.023 हैक्टर में वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 को बहिस्सा बराबर यानि 1/2–1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिदादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 19.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में पिता, पुत्र, भाई बहिन वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान के रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगो में आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगो को मुकदमेंबाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एंव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का निम्न प्रकार से घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हुये है। प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम चक 2 ए.आर.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 7/7, खाता किशोर कुमार, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 109/341 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1/1/.202, 2 ता 5, 6/.169, 7/.169, 8/.168, 9/.168, 10/.135 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.023 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 की शादी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अच्छे घर में अच्छा दान दहेज देकर की हुई है। प्रतिवादीया संख्या 2 अपने सासुराल में राजीखुशी निवास कर रही है तथा वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का बनता था वो उनके द्वारा अपने दराज पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। वादी का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो गया है। पक्षकारान राजीनामा अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी अमित कुमार प्रतिवादी संख्या 1 किशोर कुमार के नाम चक 2 ए.आर.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता किशोर कुमार, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 109/341 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1/1/. 202, 2 ता 5, 6/.169, 7/.169, 8/.168, 9/.168, 10/.135 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.023 हैक्टर में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 2 में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दवाब व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा की दफा 2 में वर्णितानुसार 2.023 हैक्टर में प्रत्येक वादीगण 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की घोषणा वादी के नाम से की जाकर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 का नाम संयुक्त रूप मे जोडा जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर दावा डिक्री किये जाने के आदेश फरमावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 4

Scanned by CamScanner

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वय अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 किशोर कुमार के नाम चक 2 ए.आर.डब्ल्यू. की 2.023 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के किशोर कुमार पुत्र किशनाराम के नाम दर्ज चक 2 ए.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 7/7 की 2.023 हैक्टर में वादी संख्या एक विकास कुमार पुत्र किशोर कुमार व प्रतिवादी संख्या एक किशोर कुमार पुत्र किशनाराम को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 22.08.2019 को मेरे लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
एवं सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 092/2019

1 विकास कुमार पुत्र श्री किशोर कुमार जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) – – वादी

–:: बनाम ::–

1 किशोर कुमार पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 रचना पुत्री श्री किशोर कुमार जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 22.08.2019

वादी की और से श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री कुमार सोलंकी अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 22.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के किशोर कुमार पुत्र किशनाराम के नाम दर्ज चक 2 ए.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 7/7 की 2.023 हैक्टर में वादी संख्या एक विकास कुमार पुत्र किशोर कुमार व प्रतिवादी संख्या एक किशोर कुमार पुत्र किशनाराम को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –		
आदेशिका की तामिल	– –	कमिश्नर की फीस	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 15:38:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: